



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255769
CG-DL-E-26072024-255769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2841]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2841]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2982(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -(1) इस आदेश को हिन्ज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) इस आदेश में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, यह आदेश 1 जनवरी, 2025 को लागू होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II के स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—उक्त ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हिन्ज	12817:2020	स्टेनलेस स्टील बट हिन्ज	1 जनवरी, 2025	1 अप्रैल, 2025	1 जुलाई, 2025
2		1341:2018	स्टील बट हिन्ज			
3		205:1992	नॉन-फेरस मेटल बट हिन्ज			
4		206 :2010	टी और स्ट्रैप हिन्ज			
5		362: 1991	पार्लियामेन्ट हिन्ज			
6		3818 :1992	कन्टीनुअस (पिआनो) हिन्ज			
7		3843:1995	स्टील बैक फ्लैप हिन्ज			
8		453:1993	डबल-एक्टिंग स्प्रिंग हिन्ज			
9		18297:2023	कैबिनेट हिन्ज			

नोट—इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी - 29026/11/2023— एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2982(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Hinges (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Hinges (Quality Control) Order, 2024.

(2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the 1st January, 2025.

2. Compulsory use of Standard Mark.– Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. Certification and enforcement authority.– The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the Goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for Contravention.– Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hinges	12817:2020	Stainless Steel Butt Hinges	1st January, 2025	1st April, 2025	1st July, 2025
2.		1341:2018	Steel Butt Hinges			
3.		205:1992	Non-ferrous metal butt Hinges			
4.		206 :2010	Tee and Strap Hinges			
5.		362: 1991	Parliament Hinges			
6.		3818 :1992	Continuous (Piano) Hinges			
7.		3843:1995	Steel back flap Hinges			
8.		453:1993	Double-acting Spring Hinges			
9.		18297:2023	Cabinet Hinges			

Note.—For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/11/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.